इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 321] भोपाल, शनिवार, दिनांक 2 जुलाई 2011—आषाढ़ 11, शक 1933

## वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2011

क्र. एफ-ए-3-15-2011-1-पांच (54).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 16-क के साथ पठित मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) (जो इसमें इसके पश्चात् वाणिज्यिक कर अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, उक्त सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए और कालम (3) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है:—

सारणी

| माल का वर्ग (1) | कालावधि (2) | निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन छूट प्रदान की गई है (3) |
|---|---|---|
| हाथ से बने तांबे और पीतल के बर्तन | 1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2006 तक | इस अधिसूचना के अधीन छूट इस शर्त के अध्यधीन होगी कि,—<br>(एक) यदि उक्त कालावधि से संबंधित कर की राशि कोषालय में जमा कर दी गई है, तो ऐसी राशि का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा;<br>(दो) यदि उक्त कालावधि से संबंधित कर की राशि संगृहीत कर ली गई है, किन्तु कोषालय में जमा नहीं की गई है, तो ऐसी राशि कोषालय में जमा की जाएगी. |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. के. यादव,** अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 जून 2011

क्र. एफ-ए-3-15-2011-1-पांच, (54).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-15-2011-1-पांच, (54), दिनांक 2 जून, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. के. यादव,** अपर सचिव.

Bhopal, the 2nd July 2011

F-A- 3-15-2011-1-V-(54).—In exercise of the powers conferred by Section 16-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) read with Section 17 of the Madhya Pradesh Commercial Tax Act, 1994 (No. 5 of 1995) (hereinafter referred to as the commercial Tax Act), the State Government, hereby, exempts, the class of goods specified in column (1) of the Table below, from payment of tax under the said Act for the period specified in column (2) and subject to the restrictions and conditions specified in column (3) of the said Table :—

TABLE

In the said notification, in the table, for serial number 16, 45, 46, 47 and 80 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

| Class of goods (1) | Period (2) | Restrictions and conditions subject to which exemption is grant (3) |
|---|---|---|
| "Handmade utensils of copper and brass. | From 1st April, 2003 to 31st March, 2006. | The exemption under this notification shall be subject to the condition that,—<br>(i) If the amount of tax pertaining to the period has been deposited in the treasury, such amount shall not be refunded;<br>(ii) If the amount of tax pertaining to the period has been collected, but not deposited in the treasury, such amount shall be deposited in the treasury. |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.